



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No. 1260]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1518(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2बी, सं. 6 [किमी 0.00 से किमी. 183.200 (कोलकाता से झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 31 [किमी. 447.000 से किमी. 470.000 और किमी. 476.150 से किमी. 551.00 (सिलीगुड़ी के निकट डलकोला से गोशपुकुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 31सी [किमी. 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी. 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 31डी (नई रारा सं. 27), सं. 32, सं. 34 [किमी 31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और पांडेश्वरा - दुअराजपुर सूरी को जोड़ते हुए रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और मोरेग्राम के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए और सं. 117 [किमी.	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार"

0.00 से किमी. 7.16 तक (कोना एक्सप्रेसमार्ग का प्रारंभिक छोर) और जोका से बक्खाली तक किमी 21.80 से किमी 137 तक], सं. 80, सं. 81, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 116बी, नई रारा सं. 131ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 (इंडो/बंगलादेश सीमा - फुलबाड़ी-सिलीगुड़ी खंड), नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 317ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327बी और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 717 (मैनागुड़ी - चांगराबंधा - इंडो/बंगलादेश सीमा खंड) के उतने भाग जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं ।	
---	--

[फा.सं. एनएच-14013/18/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) के सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1044 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1518(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“25	National Highways No. 2B, No. 6 [excluding from Km. 0.0 to km.183.200 (from Kolkata to Jharkhand/West Bengal Border)], No.31 [(excluding from km.447.000 to km.470.000 and from km.476.150 to km.551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No.31C [excluding from km. 228.00 (Salsalabari) to km. 254.500 (Sankosh)], No. 31D (new NH No. 27), No.32, No.34 (excluding from km.31.00 (Barrasat) to km.452.70 (Dalkhola), No.60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No.35, No.55, No.60A and No.117 [from km. 0.0 to km. 7.16 (beginning of Kona Expressway) and km.21.80 to km.137 from Joka to Bakkhali], No.80, No.81, new National Highway No. 114 A, new National Highway No. 116B, new National Highway No. 131A, new National Highway No. 10 (Indo/Bangladesh border-Fulbari-Siliguri section), new National Highway No. 317A, new National Highway No. 327B and new National Highway No. 717 (Mainaguri-Changrabandha-Indo/Bangladesh Border Section) as are situated within the State of West Bengal.	State Government of West Bengal”.

[F. No. NH-14013/18/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot note : The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1044 (E), dated the 7th April, 2014.